

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)  
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 70 / संचा.-वि.स. / 2026  
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 30 / 06 / 2026

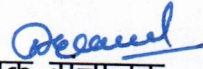
1. प्रबंध संचालक,  
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.  
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,  
अपेक्स बैंक,  
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
3. कलेक्टर,  
जिला - दुर्ग, रायपुर एवं कबीरधाम,  
छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 925 तारांकित द्वारा श्री संदीप साहू, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 925 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिफाईड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफाईड फॉन्ट' में) दिनांक 02.07.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

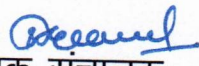
  
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

पृ.क्रमांक 71 / संचा.-वि.स. / 2026  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 30 / 06 / 2026

खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, जिला- दुर्ग, रायपुर एवं कबीरधाम, छत्तीसगढ़।  
कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : धान संग्रहण केन्द्रों में प्रति बोरा औसत वजन में शिथिलता प्रदान से शासन को संभावित वित्तीय क्षति

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 925) श्रीसंदीप साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) 01 अप्रैल, 2025 से 31 मई 2026 तक दुर्ग, रायपुर एवं कबीरधाम जिलों के प्रत्येक धान संग्रहण केन्द्र में भंडारित धान की मात्रा, औसत प्रति बोरा वजन तथा निर्गमित धान का केन्द्रवार विवरण क्या है? (ख) किन आधारों पर प्रति बोरा 40 किलोग्राम के स्थान पर 37.50 किलोग्राम अथवा अन्य वजन मानक स्वीकार किए गए? संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए। (ग) प्रति बोरा वजन में दी गई शिथिलता से मिलने को जारी कुल धान की मात्रा कितनी रही तथा इससे शासन को संभावित वित्तीय लाभ/हानि का आकलन कितना है? (घ) क्या इस संबंध में किसी स्वतंत्र एजेंसी, गुणवत्ता नियंत्रण दल अथवा लेखा परीक्षण संस्था द्वारा जांच कराई गई? यदि हाँ, तो जांच निष्कर्ष एवं की गई कार्रवाई का विवरण क्या है? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार संबंधित धान उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कब और किस अधिकारी द्वारा किया गया? सत्यापन प्रतिवेदन में क्या अनियमितताएँ पाई गई? धान उपार्जन केन्द्रों में वजन संबंधी विसंगति के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी पाए गए? उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर :

कलेक्टर दुर्ग/रायपुर/कबीरधाम  
माकेफेस/ओपेस